न्यायालय–अवर न्यायाधीश, बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S-127/2004

दिनांक–21.12.2020 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3,5,6 एवं 7 की ओर से हाजरी दी गई।

अभिलेख आज प्रतिवादी संख्या–3 के दिनांक–26.02.2020 (वादी के दिनांक–13.12.2004 अन्तर्गत आदेश 40 नियम 1 सी.पी.सी के आलोक में) के आवेदन तथा प्रतिवादी संख्या–5 के दिनांक–21.12.2004 (वादी के दिनांक–13.12.2004 के विरूद्ध) तथा दिनांक–14.09.2020 के (प्रतिवादी संख्या–3 के दिनांक–26.02.2020 के विरूद्ध) प्रतिउत्तर पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

प्रतिवादी संख्या–3 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनाक–26.02.2020 एवं वादी के दिनांक–13.12.2004 के आवेदन के समर्थन में कथन किये हैं कि वादी द्वारा वाद 266.98 एकड़ विवादित भूमि के विभाजन हेतु लाया है। प्रतिवादी संख्या–5 वाद में उपस्थित होकर लिखित कथन दाखिल करते हुए Certain Plot पर विभाजन का दावा किया है। प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा संयुक्त परिवार के जमीन पर लगा बॉस एवं पेड़–पौधा को बिना विभाजित किये हुए काटना शुरू कर दिया। इससे विवादित भूमि की क्षति हो रही है, जिसपर नियंत्रण करना आवश्यक है। अतः वाद निष्पादन तक विवादित भूमि को क्षति से रोकने एवं विवादित भूमि पर Supervision हेतु रिसिवर की नियुक्ति की जाए। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 के दिनांक–26.02.2020 के आवदेन का समर्थन करते हुए कहा गया कि यदि न्यायालय द्वारा रिसिवर की नियुक्ति की जाती है तो रिसिवर का खर्च वादी द्वारा देय होगा।

प्रतिवादी संख्या–5 के विद्वान अधिवक्ता ने वादी के दिनांक–13.12.2004 एवं प्रतिवादी संख्या–3 के दिनांक–26.02.2020 के आवेदन का विरोध करते हुए कथन किये है कि वादी द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में रिसिवर नियुक्ति करने हेतु आवेदन दिनांक–13.12.2004 को दाखिल किया, परंतु उसका संचलान 16 वर्ष बाद कर रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि विवादित भूमि पर कितना बॉस एवं पेड़ था तथा कब एवं कितना पेड़ काटा गया। प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा अपने द्वारा की गई खेती से ही धान काटा है। वादी द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पति, Plot No. 2308 जो Road side में है, उस पर दो मंजीला मकान बनवा लिया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नही है तथा स्पष्ट नही है। अतः वादी के दिनांक–13.12.2004 एवं प्रतिवादी संख्या–3 के दिनांक–26.02.2020 के आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन वाद लाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा क्रमशः दिनांक–13.12.2004 एवं दिनांक–26.02.2020 के आवेदन में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा विवादित भूमि पर लगे बॉस एवं पेड़ को काटकर बिना विभाजीत विक्रय किया जा रहा है। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा कहा गया कि वह अपने कब्जे वाली भूमि पर लगे धान को काटता है तथा वादी संयुक्त भूमि पर Road side में दो मंजीला मकान बनवा लिया है। चूँकि वाद विभाजन प्रकृति का वाद है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा किस तरह से विवादित भूमि को क्षति किया जा रहा है क्योकि पेड़–बॉस काटने से विवादित भूमि की क्षति नही होती है। प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा किसके कब्जे वाली भूमि से पेड़ काटा गया या वादी द्वारा किसके कब्जे वाली सम्पति पर घर बनवा दिया गया, वाद के इस प्रक्रम में स्पष्ट होना संभव नही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा अपने आवेदन में स्पष्ट नही किया है कि आदेश 40 नियम–1 सी.पी. सी में बताये गये आधारो मे से किस आधार पर रिसिवर की नियुक्ति करना चाहता है।

लगातार

दि–21.12.2004 उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के विवेचना के उपरांत न्यायालय वादी के दिनांक–13.12.2004 एवं प्रतिवादी संख्या–3 के दिनांक–26.02.2020 के आवदेन को खारिज करती है।

वादी दिनांक.....को साक्ष्य प्रस्तुत करे।